राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/39376

जयपुर,दिनांकः 29/01/2020

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्स सरकार द्वारा समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रो में स्थित भूखण्ड/भवनो की बकाया लीज राशि (lease amount) एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है, इस छूट का लाभ दिनांक 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगाः–

1. योजना का लाभ संभावित लाभार्थियों को प्रदान किए जाने के समुचित प्रयास किए जाकर कम से कम 90 प्रतिशत बकाया लीज राशि की वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
2. सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी यथा आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, उक्त एमनेस्टी योजना की प्रगति/कियान्विति एवं प्राप्त राजस्व की नियमित समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करेगें।
3. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी बकाया लीज राशि वसूली के पृथक–पृथक लक्ष्य अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित करेगे एवं यदि आवश्यक हो तो विशेष केम्प आयोजित कर अधिकतम वसूली सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की आईडी संख्या 102000398 दिनांक 24.01.2020 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण मे जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(उज्जवल राठौड)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांकः 29/01/2020

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/39377-39?8

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ
5. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त।
7. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
8. नोडल अधिकारी मॉनेटरीग सेल ईगर्वनेन्स को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\DLB WORK 2017-18\Office Work 2017-18\Qayam\5.Adhisuchna.doc

Scanned by CamScanner